भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 356
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 13 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

ऑटोमोटिव मिशन प्लान

356. श्री ए. विजयकुमार:

क्या भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 2016 के बाद ऑटोमोटिव मिशन प्लान में कोई संशोधन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्लान में आगे सुधार लाने के लिए की गई पहलों की संख्या कितनी है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग): भारी उद्योग विभाग ने संबद्ध सरकारी विभागों सहित अन्य स्टेकहोल्डरों से अनेक परामर्श करने के बाद भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के साथ संयुक्त रूप से ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016-26 (एएमपी-2026) को अंतिम रूप दिया है। इस योजना में निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है:

i) ऑटोमोटिव उद्योग को रोजगार सृजन वाला क्षेत्र बनाना - 65 मिलियन रोजगार।
ii) ऑटोमोटिव उद्योग को विनिर्माण और 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का प्राइम मूवर बनाना।
iii) वाहनों के निर्यात को 5 गुना और कलपुर्जों के निर्यात को 7.5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य।
iv) ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए एक समन्वित और स्थिर नीतिगत प्रणाली बनाना।

एएमपी 2026 में अनुसंधान, डिजाइन, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और ऑटोमोटिव वाहनों और कलपुर्जों तथा सेवाओं के आयात/निर्यात को शासित करने वाले विशिष्ट विनियमनों और नीतियों के सहज पथ (ग्लाइड पाथ) सहित भारत में ऑटोमोटिव प्रणाली की विकास यात्रा को भी परिभाषित करना है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी नई प्रौद्योगिकियां और संबद्ध अवसंरचना तथा नए ईंधन दक्षता विनियम शामिल हैं।

*****